

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2013/04

दायर दिनांक 08.01.2013

वादी	प्रतिवादीगण
1. भैवरसिंह पुत्र सोनसिंह, उम्र-55साल, जाति-राजपूत, निवासी-मामड़ोदा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।	1. रूकमणी पत्नी स्व0 पीथाराम, 2. गणेशाराम पुत्र पीथाराम, 3. भीवाराम पुत्र पीथाराम, 4. रामूराम पुत्र पीथाराम, 5. हरजीराम पुत्र पीथाराम, 6. लूणाराम पुत्र मेगाराम, 7. हनुमान पुत्र मेगाराम, जाति-जाट, निवासी-मामड़ोदा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत

घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 188 R.T. Act.

उपस्थित-

1. पक्षकारान् उपस्थित।

-:: निर्णय ::-

दिनांक 16.06.2017

वाद के तथ्य इस प्रकार है कि, सरहद मामड़ोद में पुराना खेत खसरा नम्बर 227 रकबा 33.13 बीघा भूमि जागीरदार समन्दरसिंह तीतरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में थी जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 227 रकबा 17.12 बीघा, खसरा नम्बर 227/292 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 227/293 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 227/294 रकबा 0.15 बीघा, खसरा नम्बर 227/295 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 227/296 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 227/297 रकबा 0.12 बीघा, खसरा नम्बर 227/298 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 227/299 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 227/300 रकबा 01.00 बीघा, खसरा नम्बर 227/301 रकबा 0.17 बीघा है जिसकी खतौनी सम्वत् 2006, खसरा मिलान, ट्रेस नक्शा की छायाप्रतियां व वर्तमान खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश है।

पुराना खसरा नम्बर 227 रकबा 33.13 बीघा की भूमि तत्कालीन जागीरदार समन्दरसिंह तीतरी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज थी, तब वादीगण के श्वसुर व दादा स्व0 मूलसिंह ने उक्त खसरान् में से कुछ भूमि बाड़े के रूप में गाय, भैंस, पूसा आदि रखने के लिए तब तत्कालीन जागीरदार ने उक्त खसरा में से अलग-अलग व्यक्तियों को उक्त खेतों में से भूमि बाड़े हेतु थी तब से उक्त भूमि पर वादीगण के

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

श्वसुर व दादा स्व० मूलसिंह व अन्य व्यक्तियों के कब्जा, आधिपत्य व अधिकार में रही। जिन बाड़ों के वादीगण व अन्य काबिज व्यक्तियों द्वारा मिट्टी की डोल बाड़, पट्टियों से सीमाबन्दी कर ली। मगर उक्त भूमि का रकबा कम होने से राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम दर्ज नहीं हो सकी व प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रही। मगर उक्त खसरा नम्बर 227/295 रकबा 0.16 बीघा बाड़े की भूमि पर वादीगण का कब्जा तीन पीढियों से चला आ रहा है। इसलिए वादीगण का खसरा नम्बर 227/295 की रकबा 0.16 बीघा भूमि पर एडवर्स पजेशन (प्रतिकूल कब्जा) पिढियों से होने से वादीगण को घोषणा खातेदारी का दावा करना लाजमी आया है।

पुराना खेत खसरा नम्बर 227 रकबा 33.13 बीघा की भूमि जिसके वर्तमान खसरा नम्बर 227 रकबा 17.12 बीघा व खसरा नम्बर 227/295 रकबा 0.16 बीघा भूमि आबादी के एकदम चिपते ही होने से वर्तमान समय में उक्त खसरा नम्बर 227 में करीब 30-40 घरों की आबादी बस चुकी है जिनके घरों में बिजली के कनेक्शन व पक्के मकानात् भी बन चुके हैं तथा उक्त भूमि में मन्दिर भी है। वादग्रस्त भूमि काबिल काशत नहीं रही। इसलिए हर साल उक्त भूमि में कोई न कोई पक्का निर्माण होता रहा है जिससे भूमि में आने-जाने के रास्ते भी हर तरफ मौके पर आज भी अवस्थित है जिस भूमि का नजरीनक्शा न्यायालय हाजा की जानकारी हेतु प्रस्तुत है, जो दावा का अहम हिस्सा है जिसे अनुसूची "अ" से दर्शाया गया है।


वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 227/295 रकबा 0.16 बीघा बाड़े की भूमि पर वादीगण के श्वसुर व दादा के समय यानि करीब 70-80 वर्षों से कब्जे व आधिपत्य में रही है जिसमें समय-समय पर मिट्टी की डोल व बाड़ से सीमा कर रखी है मगर वादी वर्तमान समय में व्यापार हेतु दिल्ली निवास करने लग गया तब पिछे से आबादी के नजदीक होने से बाड़ा को गाँव के व्यक्तियों द्वारा धीरे-धीरे हटा दी मगर उक्त भूमि के चारों ओर आज भी पट्टियों से हदबन्दी वादी ने कर रखी है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी वादी उक्त जायगा की देख-भाल करने दिनांक 23.09.2012 को उक्त बाड़े में गया तब प्रतिवादीगण आमामादा-फिसाद हुए व वादीगण को एलानियां धमकी दी कि आप को उक्त बाड़े से बेदखल कर देंगे या उक्त भूमि का बैचाण किसी भू-माफिया को कर देंगे। यदि वादीगण को उसके कब्जे व आधिपत्य की भूमि से बेदखल या बैचाण कर दिया तो वादीगण को अपार हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नकदी से सम्भव नहीं होगी इसलिए वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा का दावा करना लाजमी आया है।

बिनाय दावा दिनांक 23.09.2012 को वादीगण को उसके कब्जेकाशत सुद भूमि से बेदखल करने की धमकी देने व दिनांक 03.10.2012, 05.10.2012 को राजस्व रिकॉर्ड की नकलें लेने पर हुई व हो रही है।

प्रार्थना वादीगण है कि,

सरहद मामझोदा खेत खसरा नम्बर 227/295 रकबा 0.16 बीघा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 08 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया।


सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 2013/04
दायर दिनांक 08.01.2013, निर्णय दिनांक 16.06.2017
भँवरसिंह बनाम् रूकमणी, वगैरा।

प्रतिवादी संख्या 08 के बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 की ओर से जवाबदावा पेश हुआ।

वाद के समर्थन में वादी का शपथ-पत्र, जमाबन्दी (प्रतिलिपि) सम्वत् 2067-2070 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जमाबन्दी सम्वत् 2006 की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा पत्रक सम्वत् 2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि, नक्शा ट्रेश सन् 1960-61 की प्रमाणित प्रतिलिपि वाद के साथ पेश हुई।

राजस्व लोक अदालत: न्याय आपके द्वार में पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर दावा को वाद अनुसार डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार डीडवाना से मौका रिपोर्ट ली गयी, रिपोर्टनुसार प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 का उक्त विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं है। तहसीलदार डीडवाना की उक्त मौका रिपोर्ट दिनांक 12.06.2017 को स्वीकार किया जाकर शामिल मिसल किया गया।

चूँकि तहसीलदार डीडवाना की मौका रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 07 या किसी अन्य का कब्जा नहीं है। वादी दावा पेश करता है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं जबकि उक्त विवादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा कदीमी है।

इस प्रकार विवादग्रस्त भूमि पर वादी के कब्जे एवं दस्तावेजात् के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाना न्याय संगत प्रतीत होता है। अतः बाद विवचेन, वाद वादी, स्वीकार किया जाकर डिक्री सादिर किया जाता है।


आदेश

हस्ब दावा डिक्री सादिर कर सरहद मामड़ोदा में खेत खसरा नम्बर 227/295 रकबा 0.16 बीघा का वादी भँवरसिंह को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जा व खातेदारी की भूमि में किसी तरह का हस्तक्षेप अथवा दखल अन्दाजी नहीं करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।


(उत्तमसिंह शंखोत्तर
डीडव R.A. (नागोर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 16.06.2017 को कोर्ट कैम्प-मामड़ोदा में सुनाया गया।


(उत्तमसिंह शंखोत्तर
डीडव R.A. (नागोर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना
कोर्ट कैम्प-मामड़ोदा

डिगरी बमुकदमें इब्दाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:- सहायक कलेक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2013/04

दायर दिनांक 08.01.2013

वादी	बनाम्	प्रतिवादीगण
1. भँवरसिंह पुत्र सोनसिंह, उम्र-55साल, जाति-राजपूत, निवासी-मामड़ोदा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।		1. रूकमणी पत्नी स्व० पीथाराम, 2. गणेशाराम पुत्र पीथाराम, 3. भीवाराम पुत्र पीथाराम, 4. रामूराम पुत्र पीथाराम, 5. हरजीराम पुत्र पीथाराम, 6. लूणाराम पुत्र मेगाराम, 7. हनुमान पुत्र मेगाराम, जाति-जाट, निवासी-मामड़ोदा, तहसील-डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान, 8. तहसीलदार डीडवाना, जिला-नागौर, राजस्थान।

दावा बाबत
घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा,
अन्तर्गत धारा-88, 188 R.T. Act.

दिनांक 16.06.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुददई पक्षकारान् ओर मददायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर सरहद मामड़ोदा में खेत खसरा नम्बर 227/295 रकबा 0.16 बीघा का वादी भँवरसिंह को स्वतन्त्र खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के कब्जा व खातेदारी की भूमि में किसी तरह का हस्तक्षेप अथवा दखल अन्दाजी नहीं करे। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-.....खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसह मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 16.06.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प-मामड़ोद

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)
कोर्ट कैम्प-मामड़ोद